न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :– 56/2019
निर्णय दिनांकः– 28.08.2019

उनवान

शंभू देवी पत्नि मन्नालाल जाति माली निवासी वाटिका तह. सांगानेर जिला–जयपुर राज.

–वादीया

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र स्व. किस्तुरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सींदरा तह. निवाई जिला टोंक
2. रामजीलाल पुत्र स्व. किस्तुरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सींदरा तह. निवाई जिला टोंक
3. छीतर पुत्र स्व. किस्तुरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सींदरा तह. निवाई जिला टोंक
4. सीता देवी पुत्री स्व. किस्तुरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सींदरा तह. निवाई जिला टोंक
5. सन्तरा देवी पुत्री स्व. किस्तुरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सींदरा तह. निवाई जिला टोंक
6. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री महेश शर्मा वकील वादीया
श्री कौशलकिशोर चौधरी वकील प्रतिवादीगण 1ता5

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रतिवादी सं. 1ता5 के स्व. पिता किस्तुरा पुत्र रघुनाथ की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी ख.नं. 611/2 रकबा 02–11 बीघा जिसमें उसका 1/2 हिस्सा निहित है एवं ख.नं. 612 रकबा 0–03 बीघा गै.मु. चाह जिसमें उसका 1/4 हिस्सा निहित है। उपरोक्त आराजीयात ग्राम सींदरा तह. निवाई में स्थित है। प्रतिवादी सं. 1ता5 के पिता का स्व. किस्तुरा का स्वर्गवास दिनांक 20.12.2010 को हो गया है जिसके प्रतिवादी सं. 1ता5 वारिसान है। स्व. किस्तुरा ने वर्णित भूमि में से अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2005 को 90,000/–रूपये में विक्रय कर विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादीया को मौके पर कब्जा संभला दिया था। लेकिन वादीया अनपढ़ व नासमझ होने से विक्रय पत्र के आधार पर उसका दाखिला खारिज अपने नाम नहीं भरवाया जा सका। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1ता5 दावा बाबत् उद्घोषणा डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि आराजी ख.नं. 611/2 रकबा 02–11 बीघा, ख.नं. 612 रकबा 0–03 बीघा गै.मु. चाह वाके ग्राम सीन्दरा तह. निवाई में स्थित भूमि में वादीया को ख.नं. 611/2 में 1/2 हिस्से का एवं ख.नं. 612 में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1ता5 के स्वर्गीय पिता का नाम दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीया को खातेदार घोषित किया जावे।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण 1ता5 की ओर से श्री कौशलकिशोर चौधरी एड. ने इकबाली जवाब–दावा मय वकालतनामा पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1ता5 के स्व. पिता किस्तुरा ने दिनांक 06.2.2005 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय–पत्र वादीया के हक में 90,000/– रूपये प्रतिफल राशि प्राप्त कर करवाया गया है। जो सही है। विक्रय किये जाने के पश्चात् से आज तक वादग्रस्त आराजीयात पर क्रेता वादीया का कब्जा एवं काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1ता5 की नियत में कोई बेईमानी नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी वादीया के नाम लगा दी जावे तो उसमें प्रतिवादी सं. 1ता5 को कोई उज्र व आपत्ति नहीं है। अतः जवाब–दावा पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद डिक्री कर दिया जावे जिससे प्रतिवादी सं. 1ता5 को कोई आपत्ति नहीं है। इकबाली जवाब–दावा पेश होने पर साक्ष्य पेश नहीं कर उभयपक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। वकील वादी ने प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुए बहस में बताया कि प्रतिवादी सं. 1ता5 के स्व. पिता किस्तुरा पुत्र रघुनाथ की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी ख.नं. 611/2 रकबा 02–11 बीघा जिसमें उसका 1/2 हिस्सा निहित है एवं ख.नं. 612 रकबा 0–03 बीघा गै.मु. चाह जिसमें उसका 1/4 हिस्सा निहित है। उपरोक्त आराजीयात ग्राम सींदरा तह. निवाई में स्थित है। प्रतिवादी सं. 1ता5 के पिता का स्व. किस्तुरा का स्वर्गवास दिनांक 20.12.2010 को हो गया है जिसके प्रतिवादी सं. 1ता5 वारिसान है। स्व. किस्तुरा ने वर्णित भूमि में से अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2005 को 90,000/–रूपये में विक्रय कर विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादीया को मौके पर कब्जा संभला दिया था। लेकिन वादीया अनपढ व नासमझ होने से विक्रय पत्र के आधार पर उसका दाखिला खारिज अपने नाम नहीं भरवाया जा सका। अतः निवेदन है कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1ता5 दावा बाबत् उद्घोषणा डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि आराजी ख.नं. 611/2 रकबा 02–11 बीघा, ख.नं. 612 रकबा 0–03 बीघा गै.मु. चाह वाके ग्राम सीन्दरा तह. निवाई में स्थित भूमि में वादीया को ख.नं. 611/2 में 1/2 हिससे का एवं ख.नं. 612 में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1ता5 के स्वर्गीय पिता का नाम दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीया को खातेदार घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 1ता5 ने बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1ता5 के स्व. पिता किस्तुरा ने दिनांक 06.2.2005 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय–पत्र वादीया के हक में 90,000/– रूपये प्रतिफल राशि प्राप्त कर करवाया गया है। जो सही है। विक्रय किये जाने के पश्चात् से आज तक वादग्रस्त आराजीयात पर क्रेता वादीया का कब्जा एवं काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1ता5 की नियत में कोई बेईमानी नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी वादीया के नाम लगा दी जावे तो उसमें प्रतिवादी सं. 1ता5 को कोई उज्र व आपत्ति नहीं है। अतः निवेदन है कि वादीया का वाद डिक्री कर दिया जावे जिससे प्रतिवादी सं. 1ता5 को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्षों की बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी सं. 1ता5 के पिता का स्व. किस्तुरा ने वर्णित भूमि ख.नं. 611/2 रकबा 02–11 बीघा जिसमें उसका 1/2 हिस्सा निहित है एवं ख.नं. 612 रकबा 0–03 बीघा गै.मु. चाह ग्राम सींदरा तह. निवाई जिसमें उसका 1/4 हिस्सा निहित है, में से अपना

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)निवाई

Scanned by CamScanner

हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2005 को 90,000/—रूपये में विक्रय कर विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादीया को मौके पर कब्जा संभला दिया था। स्व. किस्तुरा की मृत्यु हो चुकी है। वादीया का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त है। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम सीन्दरा में स्थित भूमि ख.नं. 611/2 में 1/2 हिस्से का एवं ख.नं. 612 में 1/4 हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन करने के आदेश तहसीलदार निवाई को दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी.बैरवा
सहायक कलेक्टर
(आर.ए.एस.)
(फास्ट ट्रेक) निवाई

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) * निवाई *

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

शंभू देवी पत्नि मन्नालाल जाति माली निवासी वाटिका तह. सांगानेर जिला–जयपुर राज.

–वादीया

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र स्व. किस्तुरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सींदरा तह. निवाई जिला टोंक
2. रामजीलाल पुत्र स्व. किस्तुरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सींदरा तह. निवाई जिला टोंक
3. छीतर पुत्र स्व. किस्तुरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सींदरा तह. निवाई जिला टोंक
4. सीता देवी पुत्री स्व. किस्तुरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सींदरा तह. निवाई जिला टोंक
5. सन्तरा देवी पुत्री स्व. किस्तुरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सींदरा तह. निवाई जिला टोंक
6. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्याः–56/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जे.पी. बैरवा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री महेश शर्मा वकील वादीया व श्री कौशलकिशोर चौधरी वकील प्रतिवादीगण 1ता5 मिनजानिब मुद्‌दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम सीन्दरा में स्थित भूमि ख.नं. 611/2 में 1/2 हिस्से का एवं ख.नं. 612 में 1/4 हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन करने के आदेश तहसीलदार निवाई को दिये जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 08 सन् 2019 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
निवाई(टोंक)

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)निवाई

47E:\ACEM\Court\Faisle\Faisale.docx45